

2102221-21-3-13



श्री राजस्थान स्टील इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राजस्थान),

फोन: 0141-227267 फैक्स: 0141-5115766

वेबसाइट: www.rajsico.gov.in * ई-मेल: rajsico@rajasthan.gov.in

" लघु उद्योग इकाईयों का वर्ष 2013-14 के लिये लौहा इस्पात आपूर्ति हेतु पंजीयन "

निगम द्वारा भारत सरकार से आवंटित लौहा इस्पात का स्टील अथॉरिटी/राष्ट्रीय इस्पात निगम से उपार्जन कर लघु उद्योग उपक्रमों को उत्पादन कार्य हेतु उपलब्ध करवाया जाता है। इच्छुक स्थाई पंजीकृत लघु उद्योग उपक्रम वर्ष 2013-14 के लिये निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र से अपना आवेदन पत्र प्रमाणित करवा कर दिनांक 17 अप्रैल, 2013 तक निगम में मांग पंजीयन करवावे ताकि समय-समय पर लौहा इस्पात उपलब्ध करवाया जा सके। इकाईयों की पात्रता निगम द्वारा तय की जावेगी। विस्तृत जानकारी के लिये हमारी वेब साईट देखे अथवा कच्चा माल अनुभाग में सहायक महाप्रबन्धक (I.मा.) से फोन पर या व्यक्तिगत सम्पर्क करें।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

लौह एवं इस्पात वितरण नीति वित्तीय वर्ष 2013-14

निगम द्वारा भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा आवंटित लौह इस्पात राज्य की लघु उद्योग उपक्रम को वितरण हेतु निम्न नीति अपनाई जायेगी :-

1. राज्य की उद्यमी ज्ञापन पार्ट द्वितीय अभिस्वीकृत लघु उद्योग उपक्रम को लौह इस्पात वितरण हेतु निगम में पंजीकरण किया जायेगा । इस हेतु इकाईयों निर्धारित प्रपत्र अनेक्सर 'ए' में निर्धारित तिथी तक आवेदन करेंगी। निश्चित तिथी के उपरान्त इकाई का पंजीकरण करने या नहीं करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगी
2. उपक्रम को उसकी उपभोग क्षमता से अधिक कच्चा माल उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा ।
3. निगम द्वारा उपार्जित माल का आवंटन एवं वितरण इच्छुक क्रेता लघु उद्योग उपक्रम को निम्न प्रकार से किया जायेगा :-

एम.ओ.यू. के अन्तर्गत -

(ए.) वर्ष 2013-14 हेतु एम.ओ.यू. करने वाली इकाईयों को एस.एस.आई.सी. रिबेट निम्नानुसार पारित की जायेगी :-

एम.ओ.यू. मात्रा (मै.टन)	इन्वॉइस स्टेज पर	एम.ओ.यू. पूर्ण होने पर
प्रारंभ से 3000	120/-	80/-
3001 से 5000	180/-	120/-
5001 से अधिक पर	225/-	150/-

यह रिबेट निगम को सेल/आर.आई.एन.एल. से प्राप्त होने पर ही दी जायेगी ।

(बी) एम.ओ.यू. करने वाली इकाईयों पर स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया/राष्ट्रीय इस्पात निगम के एम.ओ.यू. सम्बन्धित नीतिगत प्रावधान भी लागू होंगे ।

(सी) सेल/आर.आई.एन.एल. के साथ वार्षिक आधार पर एम.ओ.यू. किया जायेगा । इस एम.ओ.यू. का माल इकाईयों को भी इसी आधार पर आवंटित किया जायेगा ।

(डी) एम.ओ.यू. 100/- नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निगम के निर्धारित प्रारूप में किया जायेगा ।

(ई.) यदि कोई इकाई एम.ओ.यू. पूर्ण नहीं कर पाती है तो बकाया एस.एस.आई.सी. रिबेट टी.ओ.डी.,कन्सीटेन्सी नहीं दी जायेगी । एम.ओ.यू. पूर्ण करने वाली इकाईयों को टी.ओ.डी. कन्सीटेन्सी सेल द्वारा देने पर दी जायेगी । आई.एफ.सी., दरों में अन्तर राशि, त्रैमासिक रिबेट का भुगतान सेल से प्राप्त होने पर ही किया जायेगा ।

(एफ.) डायरेक्ट डिस्पेच बुकिंग हेतु 5.00 लाख रुपये पी.एफ.ए. के लिये जायेगे इस राशि का माह की बुकिंग के अन्तिम वैगन में समायोजन का प्रावधान रहेगा । यदि कोई इकाई अपनी बुकिंग का माल नहीं लेगी तो वह माल सेलस्टॉक यार्ड में डाईवर्ट करवा कर सम्बन्धित चार्जज इकाई को डेबिट कर दिये जायेगें । एक बार डाईवर्ट करवाने वाली इकाईयों से पी.एफ.ए. राशि रुपये 10.00 लाख रुपये लेकर ही भविष्य में माल बुक करवाया जा सकेगा ।

(जी.) एम.ओ.यू. हेतु किसी भी प्रकार की अमानत राशि नहीं ली जायेगी ।

नॉन एम.ओ.यू. इकाईयों हेतु :-

(ए)

माल की मात्रा	इन्चाईस स्टेज पर देय रिबेट
शून्य से 200 मैट्रिक टन तक	150/- प्रति मै.टन
201 मै.टन से उपर	200/- प्रति मै.टन

(बी) नॉन एम.ओ.यू. इकाईयों को माल की आपूर्ति एम.ओ.यू. इकाईयों को प्राथमिकता दिये जाने के उपरान्त शेष बचे माल की उपलब्धता एवं इकाईयों की मांग को मध्यनजर रख कर की जायेगी ।

(सी) आवंटित किये गये माल की उपयोगिता जाँच हेतु सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र को आवंटन की एक प्रति भिजवाई जायेगी । इकाई माल प्राप्ति पर सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र को उपयोगिता जाँच हेतु लिखित में सूचित करें एवं उपभोग पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर निगम को प्रस्तुत करें । जिला उद्योग केन्द्र द्वारा दोषी पाई गई इकाईयों को माल की आपूर्ति तुरन्त बन्द करदी जायेगी ।

4. इकाईयों द्वारा निगम को अग्रिम भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से करना होगा भुगतान प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त सेल/आर.आई.एन.एल. के नाम चैक जारी करवा कर माल की डिलीवरी की जायेगी ।

5. (ए) एक ही आर.आर. एवं विभिन्न साईज का माल अलग-अलग वैगन में आने की स्थिति में इकाईयों से शपथ पत्र लिया जायेगा यथा संभव निगम मांग के अनुसार वैगन देगा परन्तु किन्ही परिस्थिति में कोई कोईल किसी दूसरे के वैगन में आ जाती है तो इकाई को स्वीकार्य होगा ।

(बी) यदि एक ही आर.आर. में 2 या 3 इकाईयों का माल आ जाता है तो सभी इकाईयों को एक मुश्त राशि जमा करवानी होगी जो भी इकाई देरी से राशि जमा करायेगी एवं जिस इकाई द्वारा राशि जमा करवा दी गई है उनके सभी वारफेज/डेमरेज, देरी से भुगतान करने वाली इकाईयों को वहन करने होंगे ।

(सी) प्रत्येक माह की 5 तारीख डायरेक्ट डिस्पेच बुकिंग एवं स्टॉक यार्ड की बुकिंग 23 तारीख तक देने पर ही सेल/आर.आई.एन.एल. में माल बुक करवाया जा सकेगा ।

6. किसी भी प्रकार का संशोधन घटाना बढ़ाना व नीति आदि में परिवर्तन इत्यादि शक्तियाँ अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय के पास ही होंगी ।

REGISTRATION FORM

The Rajasthan Small Industries Corporation Limited
Udyog Bhawan,
Jaipur.

Dear Sir,

We are pleased to furnish following latest information of our MSME Unit and book the annual requirement of Iron & Steel for the year 2013-14 duly verified by the respective District Industries Centers.

S. No.	REQUIRED INFORMATION	DETAILS
1.	Name of Unit	
2.	Address of the Unit	
3.	Address of Corporation Office	
4.	Phone, Fax & Mobile No. of Unit with name of contact person	
5.	DIC entrepreneur memorandum Part II acknowledgement No. & Date (Photocopy be enclosed)	
6.	Latest physically and working existence certificate issued by concerning DIC. (Certified copy be enclosed)	
7.	Pan No. (Copy of returned field be enclosed)	
8.	Latest VAT assessment certificate (Photocopy be enclosed)	
9.	Tin No. (Certified copy be enclosed)	
10.	Items being Manufacturing in the Unit	
11.	Quantities & Category of Iron & Steel consumed by the Unit during 2012-2013	
12.	Quantities & Category of Iron & Steel procured from RSIC during 2012-2013 Details is to be given	
13.	Quantities & Category of Iron & Steel procured from open market during 2012-2013 Details is to be given	
14.	Actual requirement of Iron & Steel to be booked for the year 2013-2014. Details of quantity & category is to be	

	given as per capacity assessment certificate issued by respective DIC	
15.	List of certified copies of documents attached	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I / We have gone through carefully Iron & Steel distribution policy for the year 2013-2014 of RSIC Ltd. and agree to abide by all the terms and condition motioned in the aforesaid distribution policy of the Corporation for the year 2013-2014.

Affidavit in the prescribed form on a non-judicial stamp paper of Rs. 100/- is enclosed.

Thanking you

Yours Faithfully

Authorized Signatory

Name.....

Designation with Seal

CERTIFICATE

It is certified that the above information furnished by the Units are found correct and verified after field verification.

Signature of the Officer In-charge of the Respective

DIC

With Seal

Name.....

Designation.....

AFFIDAVIT

I / We..... Undertake that we are Consumers of Iron & Steel in MSME Sector of Rajasthan having annual requirement up to Tonne. We also undertake that Iron & Steel purchased from The Rajasthan Small Industries Corporation Limited (RSIC) will not be resold or traded but it will be utilized properly by us as end user and in case we are found defaulter or make breach of any of the conditions, the RSIC Ltd. Shall be entitled to stop supply of Iron & Steel to us and take necessary legal action as per law.

For.....

Authorized Signatory

(Name & Company Seal)

Phone No.....

Fax No.....